168

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

निगरानी क्र.   /2017

त्रिवेणी प्रसाद तनय बल्लभराम ब्राम्हण निवासी— फूल नं., तहसील मनगवां, जिला—रीवा (म0प्र0) RS-301—

III/निग./रीवा/भू.रा./2017/2064

————आवेदक / निगरानीकर्ता

अधि० श्री अनन्त तिवारी द्वारा पेश/29.6.17

बनाम्

1. प्राणनाथ तनय स्व. दूदनराम ब्राम्हण
2. प्राणपति तनय स्व. दूदनराम ब्राम्हण
3. प्रेमनारायण तनय स्व. दूदनराम ब्राम्हण
4. शिवसागर तनय स्व. दूदनराम ब्राम्हण
5. बेवा पार्वती पति स्व. दूदनराम ब्राम्हण

समस्त निवासी ग्राम—फूल, तहसील मनगवां, जिला—रीवा (म0प्र0)

————अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ताण

नायब तहसीलदार मनगवाँ जिला—रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र. 11अ—70 / 16—17 प्राणनाथ वगैरह विरूद्ध त्रिवेणी प्रसाद में पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता.

मान्यवर,

:: निगरानी का सूक्ष्म विवरण ::

निगरानीकर्ता ने सा0 फूल नं. 1 तहसील—मनगवाँ जिला—रीवा (म0प्र0) की अपनी आराजी नं. 372 रकवा 1.08 एकड़ का अन्य भूमियों के साथ दिनांक 14.05.2001 को सीमांकन कराया जो सीमांकन अंतिम रहा आया। उक्त सीमांकन में यह विदित हुआ कि आवेदक की उक्त आराजी

त्रिवेणी प्रसाद

(168)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक ...निग./निग./17/2064... जिला– रीवा

त्रिवेणी प्रसाद वा. ...विरुद्ध... प्राणनाथ प्रा.व अन्य

(1)	(2)	(3)
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री देवेश मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार/~~राजस्व निरीक्षक~~, तहसील रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक 15-6-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	